भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 493

शुक्रवार, 26 जुलाई, 2019 को उत्तर देने के लिए

प्रतिभा पलायन

***493.श्रीमती किरण खेर:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिभा पलायन की गंभीर समस्या पर ध्यान दिया है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास को प्रभावित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने वैज्ञानिक समुदाय से प्रतिभा पलायन को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और

प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

प्रतिभा पलायन के बारे में लोक सभा में दिनांक 26 जुलाई 2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न सं. 493 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख): विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी) के विकास को भी प्रभावित कर देने वाला महत्वपूर्ण प्रतिभा पलायन केंद्र सरकार की जानकारी में नहीं आया है। सरकार ने देश की सर्वश्रेष्ठ जनशक्ति को यहीं बनाए रखने के लिए त्रि-स्तरीय कार्यनीति अंगीकार की है। पहली कार्यनीति देश में वैज्ञानिक अनुशीलन ंतथा शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों के लिए पर्याप्त, अत्याधुनिक अनुसंधान अवसंरचना तथा माहौल का सृजन करना है। दूसरी के अनुसार, भारतीय मूल के विदेशी वैज्ञानिकों को हमारे देश में योगदान देने के लिए अवसरों का सृजन किया गया है। तीसरी के अनुसार, देश में पोस्टडॉक्टरल अनुसंधान करने के लिए नए अवसरों का सृजन किया गया है।

(ग): वैज्ञानिकों के लिए नए अवसरों का सृजन करने के साथ-साथ प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) तथा जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) की बहिष्प्राकार निधीयन स्कीमें और डीएसटी, डीबीटी एवं वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की अध्येतावृत्ति स्कीमें वैज्ञानिकों को गुणवत्तायुक्त अनुसंधान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु डिजाइन की गई हैं। अनुसंधान क्षमताओं में संवर्धन हेतु अनुसंधान अवसंरचना का निर्माण करने की दृष्टि से कई स्कीमें/कार्यक्रम यथा विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शैक्षणिक संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना सुधार निधि (फिस्ट) स्थापित किए गए हैं। मुख्य अनुसंधान अनुदान जैसी अन्य स्कीमें, जेसी बोस और स्वर्णजयंती सदृश अनुसंधान अध्येतावृत्तियां वैज्ञानिक समुदाय को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आधुनिकतम क्षेत्रों में विश्व-स्तरीय अनुसंधान करने में सक्षम बनाने के प्रति लक्षित हैं। युवा वैज्ञानिकों को स्वावलंबी बनाने तथा उन्हें देश में ही अपना अनुसंधान जारी रखने के लिए अभिप्रेरित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) का अर्ली कैरिअर अनुसंधान पुरस्कार, राष्ट्रीय पोस्टडॉक्टरल अध्येतावृत्ति जैसी स्कीमों के जरिए बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिकों को सहायता प्रदान की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालित स्टार्ट-अप्स का विस्तार करके काफी नए अवसरों का सृजन किया गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, डीएसटी की राष्ट्रीय नवोन्मेष निर्माण एवं उपयोग पहल (निधि) जैसी स्कीमों और डीबीटी की स्कीमों से हमारे वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आवंटन (सं.अ.) में 2009-14 की अवधि मे ं33,413.2 करोड़ रू. से 2014-19 की अवधि में 51,423.1 करोड़ रू. तक की भारी वृद्धि से समग्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है और हमारे वैज्ञानिकों को देश में अपने कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

वैज्ञानिक विभागों में मौजूद लोचशील पूरक स्कीम/योग्यता आधारित प्रोन्नति स्कीम तथा VIIवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों के कार्यान्वयन और कार्यनीतिक विभागों में निष्पादन आधारित प्रोत्साहन स्कीम (पीआरआईएस) की शुरूआत की भी वैज्ञानिकों के नियोजन और उन्हें देश में ही रोके रखने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2019 से अनुसंधान कार्मिकों (कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता, अनुसंधान सहायक) के लिए अध्येतावृत्ति की राशि में 24-35 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।

अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर) संकाय स्कीम के जरिए डीएसटी, रामानुजन अध्येतावृत्ति स्कीम के जरिए एसईआरबी तथा रामालिंगास्वामी पुनःप्रवेश अध्येतावृत्ति स्कीम के जरिए डीबीटी द्वारा विदेश में रह रहे उच्च क्षमता वाले भारतीय अनुसंधानकर्ताओं को अपनी अपनी रूचि तथा कार्यक्षेत्र के भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिए आकर्षक प्रस्ताव और अवसर प्रदान किए जाते हैं। वेलकम ट्रस्ट/डीबीटी भारत अलायंस कार्यक्रम के जरिए किसी भी नागरिक को भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में मूलभूत, क्लीनिकल तथा लोक स्वास्थ्य अनुसंधान कार्य करने के लिए अध्येतावृत्ति की पेशकश की जाती है। एसईआरबी की आगंतुक उन्नत संयुक्त अनुसंधान (वज्र) संकाय स्कीम के जरिए भारतीय मूल के वैज्ञानिकों सहित पारंगत विदेशी वैज्ञानिकों को विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उच्च गुणवत्तायुक्त अनुसंधान करने के लिए अनुबद्ध/आगंतुक संकाय पदों की पेशकश की जाती है। सरकार द्वारा किए गए इन सभी उपायों का लक्ष्य वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों को भारत में बनाए रखना तथा उन्हें भारत लाना है।

****